

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30.09.2026 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री कुछ समय से पड़ोसी गांव खैरा बगिया निवासी साजिद खान पुत्र अज्ञात से मोबाइल फोन पर बातचीत करती थी। वादिनी द्वारा जानकारी होने पर पुत्री को समझाया गया तथा साजिद के परिजनों से भी शिकायत की गई थी। दिनांक 29.09.2026 को समय करीब 19:00 बजे साजिद खान उनकी पुत्री हिना यादव को बहला-फुसलाकर शादी करने की नीयत से अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी पुत्री का पता नहीं चल सका। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमें का वांछित अभियुक्त कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज सेमरा के आगे सड़क पर खड़ा है तथा बाहर भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त साजिद खान को घेरकर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. साजिद खान पुत्र फहीमुल्ला, निवासी बलवंतपुरवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 0897/2026 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 सत्य प्रकाश सिंह
02. हे0का0 नागेन्द्र कुमार यादव
03. का0 जानेंद्र वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 01.10.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का कारावास व रुपये 1,00,000 /— के अर्थदण्ड की सजा—

दोषसिद्धि का विवरण—

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में थाना कौड़िया में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी, कोर्ट मोहरीर म0हेड0का0 नीरा यादव व थाना कौड़िया के पैरोकार हेड का0 रामाज्ञा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2026 को दोषी अभियुक्त सुरजीत सिंह को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 कारावास व 1,00,000 /— रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण—

01. सुरजीत सिंह पुत्र स्व0 अजायब सिंह नि0 ठठा पो0 गरयाला थाना पट्टी जनपद तरण तारण पंजाब।

अभियोग का विवरण—

01. मु0अ0सं0—05 / 2023 धारा 18(ख), 25, 27(क) एवं 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 01.10.2026

साइबर जागरूकता माह के प्रथम दिन जनपद के 18 थानों में चला साइबर जागरूकता अभियान, वेब ब्राउजिंग, वेरीफाइड वेबसाइट, HTTPS एवं संदिग्ध लिंक से बचाव के संबंध में लगभग 935 लोगों को किया गया जागरूक-

गोण्डा। अक्टूबर 2026 को **साइबर जागरूकता माह** के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक **01.10.2026** को साइबर जागरूकता माह के प्रथम दिन **गोण्डा पुलिस** द्वारा जनपद के 18 थानों में विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान संबंधित थानों की **साइबर हेल्प डेस्क टीमों** द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आमजन, पुरुषों, महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव एवं सुरक्षित इंटरनेट प्रयोग के संबंध में जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में विशेष रूप से **वेब ब्राउजिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, वेबसाइट की प्रमाणिकता/वेरीफाइड वेबसाइट की पहचान, HTTPS का प्रयोग एवं महत्व तथा संदिग्ध (Suspicious) लिंक पर क्लिक न करने** के संबंध में जानकारी दी गई। आमजन को बताया गया कि किसी भी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत, बैंकिंग अथवा गोपनीय जानकारी दर्ज करने से पूर्व वेबसाइट की प्रमाणिकता एवं सुरक्षा की जांच अवश्य करें। साइबर हेल्प डेस्क टीमों द्वारा लोगों को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों के प्रति सचेत करते हुए बताया गया कि अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, संदिग्ध वेबसाइट, मैसेज अथवा ई-मेल को बिना सत्यापन के न खोलें तथा किसी भी परिस्थिति में **OTP, PIN, CVV, पासवर्ड एवं बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी** किसी के साथ साझा न करें। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल इसकी सूचना **साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930** एवं **National Cyber Crime Reporting Portal** के माध्यम से देने के लिए भी जागरूक किया गया, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साइबर जागरूकता माह के प्रथम दिन जनपद के **18 थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीमों** द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कुल लगभग **935 पुरुष, महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं** को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता माह के दौरान निरंतर विभिन्न माध्यमों से आमजन को साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।

गोण्डा पुलिस की अपील—

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल **1930** पर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।